



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0 / ००५ / 2026

दिनांक:- ०२ जनवरी 2026

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ हेतु शासनादेश सं० 54/2023/1256/सत्तर-4-2023-70-4099/14/2022 उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ द्वारा 43 शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय के लिये 43 प्रोफेसर, 86 एसोसिएट प्रोफेसर, 172 असि० प्रोफेसर, कुल 301 शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया तथा शासन के पत्र सं० 878/सत्तर-4-2024-70-4099/14/2022 उच्च शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 23.08.2024 द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु 1:1:1 के अनुपात के अनुसार कुल 66 पदों (प्रोफेसर-22, एसोसिएट प्रोफेसर-22, असिस्टेंट प्रोफेसर-22) पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी।

तदक्रम में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती के सम्बन्ध में गठित आरक्षण/रोस्टर समिति द्वारा तैयार किये गये कार्यवृत्त को मा० कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 31.12.2025 के मद संख्या 01 में पूर्व में तैयार रोस्टर एवं भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में लिये गये सभी निर्णयों को अवक्रमित करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उक्त के आलोक में मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गठित समिति द्वारा तैयार किये गये आरक्षण/रोस्टर (प्रति संलग्न) को आपत्ति हेतु इस आशय से प्रसारित किया जा रहा है कि उक्त रोस्टर पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह पत्र के दिनांक से 10 दिवसों के भीतर अर्थात् दिनांक 11.01.2026 तक रजिस्टर्ड डाक व हार्ड कॉपी में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, उक्त तिथि के उपरान्त कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

संलग्नक- यथोपरि।

(श्री प्रबुद्ध सिंह)

पी०सी०एस०

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. उप-कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. निजी सचिव, मा० कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

कार्यवृत्त

दिनांक 26.12.2025 को अपराह्न 3:00 बजे कुलसचिव/अपर आयुक्त कार्यालय में एवं दिनांक 30.12.2025 पूर्वान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मीटिंग हॉल में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती के सम्बन्ध में गठित रोस्टर समिति की बैठक पूर्व सूचना के अनुसार सम्पन्न हुई, जिसमें समिति के निम्नवत सदस्यों द्वारा भौतिक/ऑनलाइन रूप में प्रतिभाग किया:-

1. प्रो० कृष्णा अग्रवाल, एस०वी० कालेज, अलीगढ़।
2. प्रो० पंकज कुमार वार्ष्णेय, एस०वी० कालेज, अलीगढ़।
3. प्रो० प्रदीप कुमार, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।
4. प्रो० हरीश शर्मा, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।
5. प्रो० अंजना कुमारी, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।
6. प्रो० चन्द्रवीर सिंह, राजकीय महाविद्यालय, खैर, अलीगढ़।
7. श्री पवन कुमार, उप कुलसचिव, आर०एम०पी०यू० अलीगढ़।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं० 54/2023/1256/सत्तर-4-2023-70-4099/14/2022, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक 30.06.2023 द्वारा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ हेतु 43 शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय के लिए 43 प्रोफेसर, 86 एसोसिएट प्रोफेसर, 172 असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल 301 शैक्षिक पदों का सृजन किया गया है।

2. शासन के पत्र सं० 878/सत्तर-4-2024-70-4099/14/2022, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक 23.08.2024 द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु 1:1:1 के अनुपात के अनुसार कुल 66 पदों (प्रोफेसर-22, एसोसिएट प्रोफेसर-22, असिस्टेंट प्रोफेसर-22) पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3. शासन से अनुमति प्राप्त 66 पदों (प्रोफेसर-22, एसोसिएट प्रोफेसर-22, असिस्टेंट प्रोफेसर-22) के सम्बन्ध में आरक्षण रोस्टर तैयार किये जाने के लिए मा० कुलपति जी के अनुमोदन दिनांक 19.06.2025 एवं 16.10.2025 के अन्तर्गत रोस्टर समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा तत्सम्बन्ध में कई बैठकें आयोजित की गयी। रोस्टर समिति, शासन द्वारा सृजित 43 शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय के लिए 43 प्रोफेसर, 86 एसोसिएट प्रोफेसर, 172 असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल

301 शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से रोस्टर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2019 के अनुसार सर्वसम्मति से निम्नवत प्रस्तावित करती है-

प्रस्तावित मूल रोस्टर

क्र.सं.	शैक्षणिक विभाग/ संकाय/ विषय	प्रोफेसर	एसो0 प्रोफेसर	असि0 प्रोफेसर
01	अंग्रेजी	1- अनुसूचित जाति	1- अनुसूचित जाति	1- अनुसूचित जाति
			2- अनारक्षित	2-अनारक्षित
			3- अन्य पिछड़ा वर्ग	3-अन्य पिछड़ा वर्ग
			4-अनारक्षित	4-अनारक्षित
02	अध्यापक शिक्षा (बी0एड0)	2- अनारक्षित	3- अन्य पिछड़ा वर्ग	5-अनुसूचित जाति
			4- अनारक्षित	6-अनारक्षित
			7-अन्य पिछड़ा वर्ग	7-अन्य पिछड़ा वर्ग
			8-अनारक्षित	8-अनारक्षित
03	अर्थशास्त्र	3- अन्य पिछड़ा वर्ग	5- अनुसूचित जाति	9-अन्य पिछड़ा वर्ग
			6- अनारक्षित	10-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
			7-अन्य पिछड़ा वर्ग	11-अनुसूचित जाति
			8-अनारक्षित	12- अनारक्षित
04	आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग	4- अनारक्षित	7- अन्य पिछड़ा वर्ग	13- अन्य पिछड़ा वर्ग
			8- अनारक्षित	14- अनारक्षित
			9-अन्य पिछड़ा वर्ग	15- अनुसूचित जाति
			10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	16- अनारक्षित
05	इलेक्ट्रॉनिक्स	5- अनुसूचित जाति	9- अन्य पिछड़ा वर्ग	17- अन्य पिछड़ा वर्ग
			10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	18- अनारक्षित
			11- अनुसूचित जाति	19- अन्य पिछड़ा वर्ग
			12- अनारक्षित	20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
06	उर्दू	6- अनारक्षित	11- अनुसूचित जाति	21- अनुसूचित जाति
			12- अनारक्षित	22- अनारक्षित
			13- अन्य पिछड़ा वर्ग	23- अन्य पिछड़ा वर्ग
			14- अनारक्षित	24- अनारक्षित
07	कम्प्यूटर साइंस	7- अन्य पिछड़ा वर्ग	13- अन्य पिछड़ा वर्ग	25- अनुसूचित जाति
			14- अनारक्षित	26- अनारक्षित
			15- अनुसूचित जाति	27- अन्य पिछड़ा वर्ग
			16- अनारक्षित	28- अनारक्षित
08	कृषि अभियंत्रण विभाग	8- अनारक्षित	15- अनुसूचित जाति	29- अन्य पिछड़ा वर्ग
			16- अनारक्षित	30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
			17- अन्य पिछड़ा वर्ग	31- अनुसूचित जाति
			18- अनारक्षित	32- अनारक्षित
09	कृषि, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग	9- अन्य पिछड़ा वर्ग	17- अन्य पिछड़ा वर्ग	33- अन्य पिछड़ा वर्ग
			18- अनारक्षित	34- अनारक्षित
			19- अन्य पिछड़ा वर्ग	35- अनुसूचित जाति
			20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	36- अनारक्षित
10	कृषि प्रसार विभाग	10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19- अन्य पिछड़ा वर्ग	37- अन्य पिछड़ा वर्ग
			20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	38- अनारक्षित
			21- अनुसूचित जाति	39- अन्य पिछड़ा वर्ग
			22- अनारक्षित	40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
11	कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान विभाग	11- अनुसूचित जाति	21- अनुसूचित जाति	41- अनुसूचित जाति
			22- अनारक्षित	42- अनारक्षित
			23- अन्य पिछड़ा वर्ग	43- अन्य पिछड़ा वर्ग
			24- अनारक्षित	44- अनारक्षित
12	गणित	12- अनारक्षित	23- अन्य पिछड़ा वर्ग	45- अनुसूचित जाति
			24- अनारक्षित	46- अनारक्षित
			25- अनुसूचित जाति	47- अनुसूचित जनजाति
			26- अनारक्षित	48- अनारक्षित

13	गृहविज्ञान	13- अन्य पिछडा वर्ग	25- अनुसूचित जाति	49- अनुसूचित जाति
			26- अनारक्षित	50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
14	जैवप्रौद्योगिकी	14- अनारक्षित	27- अन्य पिछडा वर्ग	51- अन्य पिछडा वर्ग
			28- अनारक्षित	52- अनारक्षित
15	दर्शनशास्त्र	15- अनुसूचित जाति	29- अन्य पिछडा वर्ग	53- अनुसूचित जाति
			30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	54- अनारक्षित
16	न्यायिक विज्ञान (Forensic Science)	16- अनारक्षित	31- अनुसूचित जाति	55- अन्य पिछडा वर्ग
			32- अनारक्षित	56- अनारक्षित
17	पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग	17- अन्य पिछडा वर्ग	33- अन्य पिछडा वर्ग	57- अन्य पिछडा वर्ग
			34- अनारक्षित	58- अनारक्षित
18	पर्यावरण विज्ञान	18- अनारक्षित	35- अनुसूचित जाति	59- अनुसूचित जाति
			36- अनारक्षित	60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
19	पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग	19- अन्य पिछडा वर्ग	37- अन्य पिछडा वर्ग	61- अन्य पिछडा वर्ग
			38- अनारक्षित	62- अनारक्षित
20	पादप रोग विभाग	20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	39- अन्य पिछडा वर्ग	63- अनुसूचित जाति
			40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	64- अनारक्षित
21	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	21- अनुसूचित जाति	41- अनुसूचित जाति	65- अन्य पिछडा वर्ग
			42- अनारक्षित	66- अनारक्षित
22	प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति	22- अनारक्षित	43- अन्य पिछडा वर्ग	67- अन्य पिछडा वर्ग
			44- अनारक्षित	68- अनारक्षित
23	प्राणि विज्ञान	23- अन्य पिछडा वर्ग	45- अनुसूचित जाति	69- अनुसूचित जाति
			46- अनारक्षित	70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
24	भूगोल	24- अनारक्षित	47- अनुसूचित जनजाति	71- अन्य पिछडा वर्ग
			48- अनारक्षित	72- अनारक्षित
25	भूमि संरक्षण विभाग	25- अनुसूचित जाति	49- अनुसूचित जाति	73- अनुसूचित जाति
			50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	74- अनारक्षित
26	भौतिक विज्ञान	26- अनारक्षित	51- अन्य पिछडा वर्ग	75- अन्य पिछडा वर्ग
			52- अनारक्षित	76- अनारक्षित
27	मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	27- अन्य पिछडा वर्ग	53- अनुसूचित जाति	77- अन्य पिछडा वर्ग
			54- अनारक्षित	78- अनारक्षित
				79- अनुसूचित जाति
				80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
				81- अन्य पिछडा वर्ग
				82- अनारक्षित
				83- अनुसूचित जाति
				84- अनारक्षित
				85- अन्य पिछडा वर्ग
				86- अनारक्षित
				87- अन्य पिछडा वर्ग
				88- अनारक्षित
				89- अनुसूचित जाति
				90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
				91- अन्य पिछडा वर्ग
				92- अनारक्षित
				93- अनुसूचित जाति
				94- अनारक्षित
				95- अन्य पिछडा वर्ग
				96- अनारक्षित
				97- अनुसूचित जनजाति
				98- अनारक्षित
				99- अनुसूचित जाति
				100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
				101- अनुसूचित जाति
				102- अनारक्षित
				103- अन्य पिछडा वर्ग
				104- अनारक्षित
				105- अनुसूचित जाति
				106- अनारक्षित
				107- अन्य पिछडा वर्ग

28	मनोविज्ञान	28- अनारक्षित	55- अन्य पिछडा वर्ग	108- अनारक्षित
				109- अन्य पिछडा वर्ग
			56- अनारक्षित	110- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
				111- अनुसूचित जाति
				112- अनारक्षित
29	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	29- अन्य पिछडा वर्ग	57- अन्य पिछडा वर्ग	113- अन्य पिछडा वर्ग
			58- अनारक्षित	114- अनारक्षित
				115- अनुसूचित जाति
				116- अनारक्षित
30	रसायन विज्ञान	30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	59- अनुसूचित जाति	117- अन्य पिछडा वर्ग
				118- अनारक्षित
			60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	119- अन्य पिछडा वर्ग
				120- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
31	राजनीतिशास्त्र	31- अनुसूचित जाति	61- अन्य पिछडा वर्ग	121- अनुसूचित जाति
				122- अनारक्षित
			62- अनारक्षित	123- अन्य पिछडा वर्ग
				124- अनारक्षित
32	ललित कला एवं संगीत विभाग	32- अनारक्षित	63- अनुसूचित जाति	125- अनुसूचित जाति
				126- अनारक्षित
			64- अनारक्षित	127- अन्य पिछडा वर्ग
				128- अनारक्षित
33	वनस्पति विज्ञान	33- अन्य पिछडा वर्ग	65- अन्य पिछडा वर्ग	129- अन्य पिछडा वर्ग
				130- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
			66- अनारक्षित	131- अनुसूचित जाति
				132- अनारक्षित
34	वाणिज्य	34- अनारक्षित	67- अन्य पिछडा वर्ग	133- अन्य पिछडा वर्ग
				134- अनारक्षित
			68- अनारक्षित	135- अनुसूचित जाति
				136- अनारक्षित
35	विधि	35- अनुसूचित जाति	69- अनुसूचित जाति	137- अन्य पिछडा वर्ग
				138- अनारक्षित
			70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	139- अन्य पिछडा वर्ग
				140- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
36	व्यवसाय प्रशासन	36- अनारक्षित	71- अन्य पिछडा वर्ग	141- अनुसूचित जाति
				142- अनारक्षित
			72- अनारक्षित	143- अन्य पिछडा वर्ग
				144- अनारक्षित
37	शस्य विज्ञान विभाग	37- अन्य पिछडा वर्ग	73- अनुसूचित जाति	145- अनुसूचित जाति
				146- अनारक्षित
			74- अनारक्षित	147- अनुसूचित जनजाति
				148- अनारक्षित
38	शारीरिक शिक्षा	38- अनारक्षित	75- अन्य पिछडा वर्ग	149- अनुसूचित जाति
				150- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
			76- अनारक्षित	151- अन्य पिछडा वर्ग
				152- अनारक्षित
39	शिक्षाशास्त्र	39- अनारक्षित *	77- अन्य पिछडा वर्ग	153- अनुसूचित जाति
				154- अनारक्षित
			78- अनारक्षित	155- अन्य पिछडा वर्ग
				156- अनारक्षित
40	संस्कृत	40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	79- अनुसूचित जाति	157- अन्य पिछडा वर्ग
				158- अनारक्षित
			80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	159- अनुसूचित जाति
				160- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
41	समाजशास्त्र	41- अनुसूचित जाति	81- अन्य पिछडा वर्ग	161- अन्य पिछडा वर्ग
				162- अनारक्षित
			82- अनारक्षित	163- अनुसूचित जाति
				164- अनारक्षित
42	सांख्यिकी	42- अनारक्षित	83- अनुसूचित जाति	165- अन्य पिछडा वर्ग
				166- अनारक्षित

			84- अनारक्षित	167- अन्य पिछड़ा वर्ग
43	हिंदी	43- अनारक्षित *	85- अनारक्षित *	168- अनारक्षित
			86- अनारक्षित	169- अनुसूचित जाति
				170- आर्थिक रूप से कमजोर
				171- अनारक्षित *
				172- अनारक्षित

***प्रोफेसर संवर्ग** में विश्वविद्यालय में कुल 43 पद सृजित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 एवं शासनादेश संख्या 345/सत्तर-1-2021- दिनांक 19 मार्च 2021 के अनुसार आरक्षित श्रेणी में क्रमशः SC-21%, ST-2%, OBC-27% तथा EWS के लिए 10% पद आरक्षित किये गये हैं। तदनुसार 9.03 पद SC के लिए, 0.86 पद ST के लिए, 11.61 पद OBC के लिए, तथा 4.3 पद EWS के लिए आरक्षित होने चाहिए।

शासनादेश संख्या 9/4/1/2 का-2015, दिनांक 28 अगस्त 2015 के अनुसार आरक्षित श्रेणी में केवल पूर्णांक संख्या को ही आरक्षण निर्धारित करते समय संज्ञान में लिया गया है, तदनुसार SC- 09 पद, ST- 00 पद, OBC- 11 पद तथा EWS- 04 पद निर्धारित किये गये हैं।

स्पष्टीकरण-

(i) उपरोक्त आख्या में यदि OBC के लिए आरक्षित 11.61 पद को 12 पद में बदला जाता है तो यह कुल पद 43 का 27.90 % हो जाता है। अतः OBC श्रेणी में 12 के स्थान पर 11 पद रखे गए हैं।

(ii) प्रोफेसर के 43 पदों में ओबीसी के लिए निर्धारित 27% आरक्षित अर्थात् 11.61 पदों में केवल पूर्णांक को संज्ञान में लेते हुए 11 पद निर्धारित करने के बाद क्रम संख्या 39 (शिक्षाशास्त्र) व क्रम संख्या 43 (हिंदी) पर अंकित प्रोफेसर का पद ओबीसी श्रेणी को नहीं दिया जा सकता। अतः यह पद अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।

***एसोसिएट प्रोफेसर संवर्ग** में विश्वविद्यालय में कुल 86 पद सृजित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 एवं शासनादेश संख्या 345/सत्तर-1-2021- दिनांक 19 मार्च 2021 के अनुसार आरक्षित श्रेणी में क्रमशः SC-21%, ST-2%, OBC-27% तथा EWS के लिए 10% पद आरक्षित किये गये हैं। तदनुसार 18.06 पद SC के लिए, 1.72 पद ST के लिए, 23.22 पद OBC के लिए, तथा 8.6 पद EWS के लिए आरक्षित होने चाहिए।

शासनादेश संख्या 9/4/1/2 का-2015, दिनांक 28 अगस्त 2015 के अनुसार आरक्षित श्रेणी में केवल पूर्णांक संख्या को ही आरक्षण निर्धारित करते समय संज्ञान में लिया गया है, तदनुसार SC- 18 पद, ST- 1 पद, OBC- 23 पद तथा EWS- 08 पद निर्धारित किये गये हैं।

स्पष्टीकरण-

(i) उपरोक्त आख्या में यदि OBC के लिए आरक्षित 23.22 पद को 24 पद में बदला जाता है तो यह कुल पद 86 का 27.90 % हो जाता है। अतः OBC श्रेणी में 24 के स्थान पर 23 पद रखे गए हैं।

(ii) एसोसिएट प्रोफेसर के 86 पदों में ओबीसी के लिए निर्धारित 27% आरक्षण अर्थात् 23.22 पदों में केवल पूर्णांक को संज्ञान में लेते हुए 23 पद निर्धारित करने के बाद क्रम संख्या 85 (हिंदी) पर

अंकित एसोसिएट प्रोफेसर का पद ओबीसी श्रेणी को नहीं दिया जा सकता। अतः यह पद अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।

*असिस्टेंट प्रोफेसर संवर्ग में विश्वविद्यालय में कुल 172 पद सृजित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 एवं शासनादेश संख्या 345/सत्तर-1-2021- दिनांक 19 मार्च 2021 के अनुसार आरक्षित श्रेणी में क्रमशः SC-21%, ST- 2%, OBC- 27% तथा EWS के लिए 10% पद आरक्षित किये गये हैं। तदनुसार 36.12 पद SC के लिए, 3.44 पद ST के लिए, 46.44 पद OBC के लिए, तथा 17.2 पद EWS के लिए आरक्षित होने चाहिए।

शासनादेश संख्या 9/4/1/2 का-2015, दिनांक 28 अगस्त 2015 के अनुसार आरक्षित श्रेणी में केवल पूर्णांक संख्या को ही आरक्षण निर्धारित करते समय संज्ञान में लिया गया है, तदनुसार SC- 36 पद, ST- 3 पद, OBC- 46 पद तथा EWS- 17 पद निर्धारित किये गये हैं।

स्पष्टीकरण-

(i) उपरोक्त आख्या में यदि OBC के लिए आरक्षित 46.44 पद को 47 पद में बदला जाता है तो यह कुल पद 172 का 27.32 % हो जाता है। अतः OBC श्रेणी में 47 के स्थान पर 46 पद रखे गए हैं।

(ii) असिस्टेंट प्रोफेसर के 172 पदों में ओबीसी के लिए निर्धारित 27% आरक्षण अर्थात् 46.44 पदों में केवल पूर्णांक को संज्ञान में लेते हुए 46 पद निर्धारित करने के बाद क्रम संख्या 171 (हिंदी) पर अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर का पद ओबीसी को नहीं दिया जा सकता। अतः यह पद अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।

4. शासन के पत्र सं0 878/सत्तर-4-2024-70-4099/14/2022, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक 23.08.2024 द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु 1:1:1 के अनुपात के अनुसार कुल 66 पदों (प्रोफेसर-22, एसोसिएट प्रोफेसर-22, असिस्टेंट प्रोफेसर-22) पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कुल सृजित 301 पदों के सापेक्ष मूल रोस्टर प्रस्तावित करने के पश्चात शासन द्वारा सीधी भर्ती हेतु कुल 66 पदों पर शासन से प्राप्त अनुमति के क्रम में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय में कुल 66 पदों (प्रोफेसर-22, एसोसिएट प्रोफेसर-22, असिस्टेंट प्रोफेसर-22) पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से आरक्षण/रोस्टर निम्नवत प्रस्तावित है-

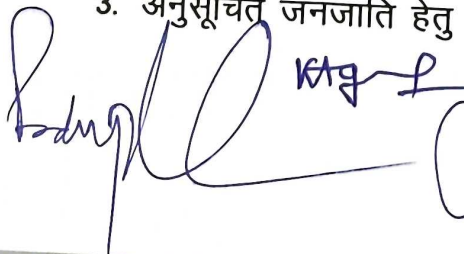
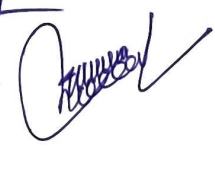
4.1. शासन से अनुमति प्राप्त प्रोफेसर के 22 पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित रोस्टर-

क्र.स.	शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय	प्रोफेसर, मूल रोस्टर के अनुसार (As per Main Roster)	प्रोफेसर, प्रस्तावित रोस्टर (Proposed Roster)
1.	अंग्रेजी	1-अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
2.	अर्थशास्त्र	3-अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
3.	कम्प्यूटर साइंस	7-अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग

4.	गणित	12-अनारक्षित	अनारक्षित
5.	गृह विज्ञान	13-अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
6.	जैव प्रौद्योगिकी	14-अनारक्षित	अनारक्षित
7.	पर्यावरण विज्ञान	18-अनारक्षित	अनारक्षित
8.	प्राणि विज्ञान	23-अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
9.	भूगोल	24-अनारक्षित	अनारक्षित
10.	भौतिक विज्ञान	26-अनारक्षित	अनारक्षित
11.	मनोविज्ञान	28-अनारक्षित	अनारक्षित
12.	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	29-अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
13.	रसायन विज्ञान	30-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
14.	राजनीतिशास्त्र	31-अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
15.	वनस्पति विज्ञान	33-अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित*
16.	वाणिज्य	34-अनारक्षित	अनारक्षित
17.	विधि	35-अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
18.	शस्य विज्ञान विभाग	37-अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित*
19.	शिक्षाशास्त्र	39-अनारक्षित	अनारक्षित
20.	संस्कृत	40-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
21.	समाजशास्त्र	41-अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
22.	हिंदी	43-अनारक्षित	अनारक्षित

*आरक्षण/रोस्टर तैयार करते समय प्रोफेसर के 22 अनुमति प्राप्त पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति हेतु 21 प्रतिशत के अनुसार 4.62, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत के अनुसार 5.94, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत के अनुसार 0.44 पद निर्धारित होते हैं। किन्तु शासनादेश संख्या 9/4/2/15/का-2/2015 दिनांक 28.08.2015 के अनुसार प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत की संख्या से केवल पूर्णांक के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया गया है। तदनुसार प्रोफेसर के लिए सीधी भर्ती हेतु कुल 22 पदों में से निम्नानुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए पद निर्धारित किये गये हैं-

1. अनुसूचित जाति हेतु — 04 पद
2. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु — 05 पद
3. अनुसूचित जनजाति हेतु — 00 पद

शासनादेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी, 2019 के अनुसार 10 प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित है। तदनुसार उपरोक्त 22 पदों में से 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित किए गये हैं। इस प्रकार कुल 22 पदों में से 11 पद अलग-अलग श्रेणी के लिए आरक्षित है, शेष 11 पद अनारक्षित श्रेणी में प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

4.2. शासन से अनुमति प्राप्त एसोसिएट प्रोफेसर के 22 पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित रोस्टर—

क्र.स.	शैक्षणिक विभाग / संकाय / विषय	एसोसिएट प्रोफेसर, मूल रोस्टर के अनुसार (As per Main Roster)	एसोसिएट प्रोफेसर, प्रस्तावित रोस्टर (Proposed Roster)
1.	अंग्रेजी	1-अनुसूचित जाति	
		2-अनारक्षित	2-अनारक्षित
2.	अर्थशास्त्र	5-अनुसूचित जाति	5-अनुसूचित जाति
		6-अनारक्षित	
3.	कम्प्यूटर साइंस	13-अन्य पिछड़ा वर्ग	
		14-अनारक्षित	14-अनारक्षित
4.	गणित	23-अन्य पिछड़ा वर्ग	
		24-अनारक्षित	24-अनारक्षित
5.	गृह विज्ञान	25-अनुसूचित जाति	
		26-अनारक्षित	26-अनारक्षित
6.	जैव प्रौद्योगिकी	27-अन्य पिछड़ा वर्ग	
		28-अनारक्षित	28-अनारक्षित
7.	पर्यावरण विज्ञान	35-अनुसूचित जाति	
		36-अनारक्षित	36-अनारक्षित
8.	प्राणि विज्ञान	45-अनुसूचित जाति	45-अनुसूचित जाति
		46-अनारक्षित	
9.	भूगोल	47-अनुसूचित जाति	
		48-अनारक्षित	48-अनारक्षित
10.	भौतिक विज्ञान	51-अन्य पिछड़ा वर्ग	51-अन्य पिछड़ा वर्ग
		52-अनारक्षित	
11.	मनोविज्ञान	55-अन्य पिछड़ा वर्ग	55-अन्य पिछड़ा वर्ग
		56-अनारक्षित	
12.	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	57-अन्य पिछड़ा वर्ग	
		58-अनारक्षित	58-अनारक्षित
13.	रसायन विज्ञान	59-अनुसूचित जाति	
		60-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	60-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
14.	राजनीतिशास्त्र	61-अन्य पिछड़ा वर्ग	
		62-अनारक्षित	62-अनारक्षित
15.	वनस्पति विज्ञान	65-अन्य पिछड़ा वर्ग	65-अन्य पिछड़ा वर्ग
		66-अनारक्षित	
16.	वाणिज्य	67-अन्य पिछड़ा वर्ग	67-अन्य पिछड़ा वर्ग
		68-अनारक्षित	
17.	विधि	69-अनुसूचित जाति	
		70-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	70-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

18.	शस्य विज्ञान विभाग	73-अनुसूचित जाति	73-अनुसूचित जाति
		74-अनारक्षित	
19.	शिक्षाशास्त्र	77-अन्य पिछड़ा वर्ग	
		78-अनारक्षित	78-अनारक्षित
20.	संस्कृत	79-अनुसूचित जाति	79-अनुसूचित जाति
		80-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
21.	समाजशास्त्र	81-अन्य पिछड़ा वर्ग	81-अन्य पिछड़ा वर्ग
		82-अनारक्षित	
22.	हिंदी	85-अनारक्षित	
		86-अनारक्षित	86-अनारक्षित

4.3. शासन से अनुमति प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित रोस्टर-

क्र.सं.	शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय	असिस्टेंट प्रोफेसर, मूल रोस्टर के अनुसार (As per Main Roster)	असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रस्तावित रोस्टर (Proposed Roster)
01	अंग्रेजी	1- अनुसूचित जाति 2-अनारक्षित 3-अन्य पिछड़ा वर्ग 4-अनारक्षित	3-अन्य पिछड़ा वर्ग
02	अर्थशास्त्र	9-अन्य पिछड़ा वर्ग 10-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 11-अनुसूचित जाति 12- अनारक्षित	10-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
03	कम्प्यूटर साइंस	25- अनुसूचित जाति 26- अनारक्षित 27- अन्य पिछड़ा वर्ग 28- अनारक्षित	26- अनारक्षित
04	गणित	45- अनुसूचित जाति 46- अनारक्षित 47- अनुसूचित जनजाति 48- अनारक्षित	45- अनुसूचित जाति
05	गृहविज्ञान	49- अनुसूचित जाति 50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 51- अन्य पिछड़ा वर्ग 52- अनारक्षित	52- अनारक्षित
06	जैवप्रौद्योगिकी	53- अनुसूचित जाति 54- अनारक्षित 55- अन्य पिछड़ा वर्ग 56- अनारक्षित	53- अनुसूचित जाति
07	पर्यावरण विज्ञान	69- अनुसूचित जाति 70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 71- अन्य पिछड़ा वर्ग 72- अनारक्षित	71- अन्य पिछड़ा वर्ग
08	प्राणि विज्ञान	89- अनुसूचित जाति 90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 91- अन्य पिछड़ा वर्ग 92- अनारक्षित	92- अनारक्षित
09	भूगोल	93- अनुसूचित जाति 94- अनारक्षित 95- अन्य पिछड़ा वर्ग 96- अनारक्षित	95- अन्य पिछड़ा वर्ग

10	भौतिक विज्ञान	101-अनुसूचित जाति	
		102- अनारक्षित	102- अनारक्षित
		103- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		104- अनारक्षित	
11	मनोविज्ञान	109- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		110- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	110- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
		111- अनुसूचित जाति	
		112- अनारक्षित	
12	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	113- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		114- अनारक्षित	114- अनारक्षित
		115- अनुसूचित जाति	
		116- अनारक्षित	
13	रसायन विज्ञान	117- अन्य पिछड़ा वर्ग	117- अन्य पिछड़ा वर्ग
		118- अनारक्षित	
		119- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		120- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
14	राजनीतिशास्त्र	121- अनुसूचित जाति	
		122- अनारक्षित	122- अनारक्षित
		123- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		124- अनारक्षित	
15	वनस्पति विज्ञान	129-अन्य पिछड़ा वर्ग	
		130- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
		131- अनुसूचित जाति	
		132- अनारक्षित	132- अनारक्षित
16	वाणिज्य	133- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		134- अनारक्षित	
		135- अनुसूचित जाति	135- अनुसूचित जाति
		136- अनारक्षित	
17	विधि	137- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		138- अनारक्षित	138- अनारक्षित
		139- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		140- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
18	शस्य विज्ञान विभाग	145- अनुसूचित जाति	
		146- अनारक्षित	146- अनारक्षित
		147- अनुसूचित जनजाति	
		148- अनारक्षित	
19	शिक्षाशास्त्र	153- अनुसूचित जाति	
		154- अनारक्षित	
		155- अन्य पिछड़ा वर्ग	155- अन्य पिछड़ा वर्ग
		156- अनारक्षित	
20	संस्कृत	157- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		158- अनारक्षित	158- अनारक्षित
		159- अनुसूचित जाति	
		160- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
21	समाजशास्त्र	161- अन्य पिछड़ा वर्ग	
		162- अनारक्षित	162- अनारक्षित
		163- अनुसूचित जाति	
		164- अनारक्षित	
22	हिंदी	169- अनुसूचित जाति	169- अनुसूचित जाति
		170- आर्थिक रूप से कमजोर	
		171- अनारक्षित	
		172- अनारक्षित	

तालिका सं0 4.2 व 4.3 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण— शासनादेश संख्या 54/2023/1256/सत्तर-4-2023-70-4099/14/2022, उच्च शिक्षा विभाग-4, दिनांक 30.06.2023 के अनुसार विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 86 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 172 पद सृजित है। अग्रेतर यह भी सूच्य है कि स्वीकृत प्रत्येक शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय में एसोसिएट

प्रोफेसर के 2 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पद सृजित है। किन्तु शासन से प्रत्येक शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय में एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर का केवल 1-1 पद भरने की अनुमति प्राप्त हुई है। प्रस्तावित रोस्टर में कुल 301 शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय हेतु सृजित पदों के लिए मा० कुलपति महोदय से अनुमोदित रोस्टर में से एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद/वर्ग का चुनाव करते समय समिति ने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है कि प्रत्येक शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय में आरक्षित/अनारक्षित प्रत्येक श्रेणी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु प्रस्तावित रोस्टर में जिस श्रेणी हेतु पद निर्धारित कर प्रस्तावित किया गया है उसे मूल रोस्टर के अनुरूप ही स्थापित करने का प्रयास किया गया है और आरक्षण का निर्धारण करने में शासनादेश 9/4/2/15/का-2/2015 दिनांक 28.08.2015 के अनुपालन में प्रतिशत के सिद्धांत को प्राथमिकता दी गयी है।

4.4 प्रोफेसर-22, एसोसिएट प्रोफेसर-22 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर-22 पद के आरक्षण/रोस्टर से सम्बन्धित समेकित तालिका-

क्र.सं.	शैक्षणिक विभाग/संकाय/विषय	प्रोफेसर	एसो० प्रोफेसर	असि० प्रोफेसर
1.	अंग्रेजी	अनुसूचित जाति	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग
2.	अर्थशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
3.	कम्प्यूटर साइंस	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनारक्षित
4.	गणित	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति
5.	गृहविज्ञान	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनारक्षित
6.	जैवप्रौद्योगिकी	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति
7.	पर्यावरण विज्ञान	अनारक्षित	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग
8.	प्राणि विज्ञान	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनारक्षित
9.	भूगोल	अनारक्षित	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग
10.	भौतिक विज्ञान	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
11.	मनोविज्ञान	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
12.	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनारक्षित
13.	रसायन विज्ञान	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
14.	राजनीतिशास्त्र	अनुसूचित जाति	अनारक्षित	अनारक्षित
15.	वनस्पति विज्ञान	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
16.	वाणिज्य	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
17.	विधि	अनुसूचित जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित
18.	शस्य विज्ञान विभाग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनारक्षित

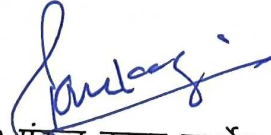
19.	शिक्षाशास्त्र	अनारक्षित	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग
20.	संस्कृत	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनारक्षित
21.	समाजशास्त्र	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
22.	हिंदी	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति

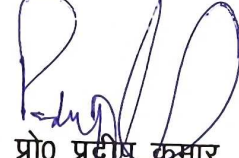
कुल 66 पदों (प्रोफेसर-22, एसोसिएट प्रोफेसर-22, असिस्टेंट प्रोफेसर-22) पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु रोस्टर तैयार करने में निम्नलिखित संदर्भ श्रोतों को आधार बनाया गया है-

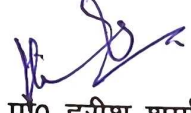
1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 दिनांक 23 मार्च, 1994
2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002, दिनांक 31 अगस्त, 2002
3. शासनादेश संख्या 9/4/2/15/का-2/2015 दिनांक 28.08.2015
4. शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019, दिनांक 13 अगस्त, 2019
5. शासनादेश संख्या 2144/सत्तर-1-2021-16(29)/2019, दिनांक 03 जनवरी, 2021
6. उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2021 दिनांक 05 मार्च, 2021
7. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 दिनांक 31 अगस्त, 2020
8. शासनादेश संख्या 345/सत्तर-1-2021, दिनांक 19 मार्च, 2021
9. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हिन्दी वर्णमाला (हिन्दी कोष)
10. उ०प्र० शासनादेश सं० 54/2023/1256/सत्तर-4- 2023-70-4099/14/2022, उच्च शिक्षा विभाग-4, दिनांक 30.06.2023
11. उ०प्र० शासन के पत्र सं० 878/सत्तर-4-2024-70-4099/14/2022, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक 23.08.2024

अतः सर्वसम्मति से समिति द्वारा शासन द्वारा सृजित कुल 301 शैक्षणिक पदों का मूल रोस्टर एवं शासन से अनुमति प्राप्त कुल 66 पदों (प्रोफेसर-22, एसोसिएट प्रोफेसर-22, असिस्टेंट प्रोफेसर-22) पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु अन्तिम रूप से आरक्षण/रोस्टर तैयार कर संस्तुति की जाती है।

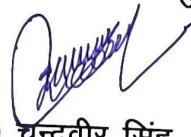

प्रो० कृष्णा अग्रवाल,
एस०वी० कालेज,
अलीगढ़।


प्रो० पंकज कुमार वाष्णीय,
एस०वी० कालेज,
अलीगढ़।


प्रो० प्रदीप कुमार,
धर्म समाज कालेज,
अलीगढ़


प्रो० हरीश शर्मा,
धर्म समाज कालेज,
अलीगढ़


प्रो० अंजना कुमारी,
धर्म समाज कालेज, अलीगढ़


प्रो० चन्द्रवीर सिंह
राजकीय महाविद्यालय, खैर,
अलीगढ़


श्री पवन कुमार,
उप कुलसचिव,
आर०एम०पी०यू० अलीगढ़